FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0163 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/06/2026 11:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 15/06/2026

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:02 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/06/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/06/2026 11:47:26 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 02 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** AAROPI KA KIRAE KA MAKAN NAINWA ROAD, GATE NUMBER 02, BUNDI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** TUSHAR PARIK

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURESH PARIK

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAGDI BAZAR TELI PADA, BUNDI, Kotwali Bundi, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAGDI BAZAR TELI PADA, BUNDI, Kotwali Bundi, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR		पिता:RAMRATAN	1. JAISTHAL,GENDOLI,BUNDI,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 03.06.2026 को परिवादी श्री तुषार पारीक पुत्र श्री सुरेश पारीक जाति ब्राह्मण उम्र 34 साल निवासी नागदी बाजार तेली पाडा थाना कोतवाली जिला बून्दी ने ब्यूरों कार्यालय बून्दी मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत गरडदा में तीन पनघट लगाने का टेण्डर चार महीने पूर्व मेरी फर्म तरू एंड कम्पनी को हुआ था, जिसमें एक पनघट लगाने की राशि पांच लाख रूपये थी, कुल तीन पनघट का कार्य मेरी फर्म द्वारा किया गया। जिसके भुगतान के लिए मैने कई बार ग्राम विकास अधिकारी मुकेश बैरवा को कहा तो ग्राम विकास अधिकारी ने कमीशन के 30 प्रतिशत राशि भुगतान करने के बदले मांगी तब से लेकर मैने कई बार बकाया बिल के भुगतान के लिए कहा तब मुकेश बैरवा ने कहा कि आधा भुगतान मै कर रहा हूं बाकी का भुगतान मेरा कमीशन देने के बाद करूंगा। तब 5 लाख रूपये 27.05.26 को और फिर 2.50 लाख रूपये 29.05.2026 को आया। इसके बाद मैने मेरे और मेरी फर्म द्वारा पिछले जो अन्य कार्य किये गये थे उसके अमानत राशि लोटाने के कहा तब कहा कि पहले जो भुगतान पनघट के कार्यो के पेटे हुआ है, उसमें से मेरा पूरा कमीशन 30 प्रतिशत जो कि लगभग 4.50 लाख रूपये होता है वो करो तब ही मै बाकी का भुगतान कंरूगा। तब मैने उसको एक लाख रूपये दे दिये। और बाकी उसने कहा कि दो लाख रूपये और दे दो बाद मै भुगतान कंरूगा। मै मेरे भुगतान के बदले ग्राम विकास अधिकारी को मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देना चाहता। मै उसे रिश्वत के साथ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी मुकेश बैरवा से कोई पुरानी रंजीश नही है ना ही कोई लेन देन बकाया है इत्यादि। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाता है इसलिऐ रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित श्री राम सिंह हैड कानि 14 को श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उसका परिचय परिवादी श्री तुषार पारीक से करवाकर कार्यालय के मालखाना से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड मंगवाकर परिवादी को चालू व बंद करने व रिकोर्डिंग करने की विधि समझाई गई तथा डीजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को आरोपी के पास पहुंचने से पूर्व चालू करने की हिदायत देकर सुपुर्द किया। तत्पश्चात परिवादी को स्वयं की कार से एवं श्री राम सिंह हैड कानि 14 को परिवादी के पीछे पीछे मोटर साईकिल से संदिग्ध आरोपी मुकेश बैरवा ग्राम विकास अधिकारी के पास जाकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत कर रवाना किया। इसके उपरान्त श्री राम सिंह हैड कानि 14 उपस्थित चैकी आया। श्री राम सिंह हैड कानि 14 ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि "मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर परिवादी की कार के पीछे पीछे गोपाल सिंह प्लाजा नैनवां रोड बून्दी पहुंचा, जहां पर परिवादी अपनी कार से निकल कर गोपाल सिंह प्लाजा में स्थित शम्भू जूस सेंटर की दुकान के बाहर बैठे दो व्यक्तियों के पास जाकर बैठा मै वही पास में अपनी उपस्थिती छुपाते हुये परिवादी को वार्ता करते हुये देख रहा था। फिर करीब 25-30 मिनट बाद परिवादी तुषार पारीक अपनी कार के पास आया तब मै भी परिवादी की कार के पास पहुंचा तो परिवादी ने मुझे बन्द हालत में डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुपुर्द कर दिया तथा इसके बाद परिवादी वापस जाकर उन्ही व्यक्तियों के पास बैठ गया था, फिर मै डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेकर मोटर साईकिल से वापस एसीबी चैकी बून्दी आया एवं डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया । फिर इसके कुछ समय बाद परिवादी श्री तुषार पारीक भी उपस्थित कार्यालय एसीबी चैाकी आया जिसने श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै मेरी कार व राम सिंह जी मोटर साईकिल से एसीबी चैाकी से रवाना होकर गोपाल सिंह प्लाजा स्थित शम्भू जूस सेन्टर के बाहर पहुंचा, मैने मेरी कार के अन्दर ही डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर लिया तथा शम्भू जूस सेन्टर के बाहर कुर्सियों पर पहले से ही बैठे मुकेश बैरवा व एक अन्य व्यक्ति के पास गया एवं उनके पास जाकर मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान के सम्बन्ध में वार्ता की तब राम सिंह जी भी अपनी उपस्थिती छुपाकर वहीं आस पास ही थे। मेरी ग्राम विकास अधिकारी मुकेश बैरवा से रिश्वत सम्बन्धी वार्ता होने के बाद मै उनके पास से उठकर मेरी कार के पास गया था तथा वहां पर मैने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को बन्द कर राम सिंह जी को सुपुर्द कर दिया था एवं मै वापस आरोपी मुकेश बैरवा को शक ना हो इसलिए उनके पास जाकर बैठ गया था। तत्पश्चात श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर रिकोर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी व आरोपी के बीच वार्ता रिकोर्ड होना पाई गई, परन्तु रिर्कोड वार्ता में अन्य

आवाजे व वार्ता अस्पष्ट होने से रिश्वत मांग सत्यापन स्पष्ट रूप से नहीं होना पाया गया इसलिए परिवादी तुषार पारीक को दुबारा गोपनीय सत्यापन करने की समझाईश की गई। डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.06.2026 को परिवादी श्री तुषार पारीक उपस्थित कार्यालय आया एवं परिवादी ने बताया कि आरोपी उसके नैनवां रोड स्थित किराये के मकान पर बुला रहा है। जिस पर श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय के मालखाना से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय दिनांक 03.06.2026 को रखे मैमोरी कार्ड के निकलवाकर परिवादी तुषार पारीक को रिकार्डिंग करने की विधि पुनः समझाकर आरोपी के पास पहुंचने से पूर्व चालू करने की हिदायत देकर सुपुर्द किया। श्री राम सिंह हैड कानि0 को बुलाकर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने की हिदायत की गई। परिवादी को स्वयं की कार एवं श्री राम सिंह हैड कानि को मोटर साईकिल से आरोपी के पास रवाना किया गया। समय 6.43 पीएम पर श्री राम सिंह हैड कानि ने जर्ये दूरभाष श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि “मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर परिवादी की कार के पीछे पीछे नैनवां रोड, रजतगृह गेट नम्बर 2 के पास पहुंचे, मै परिवादी की कार से थोडी दूरी पर अपनी उपस्थिती छुपाकर मुकीम रहा। फिर करीब आधे घंटे के बाद परिवादी मेरे पास आया और मुझे डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड का सुपुर्द करके मुझे बताया कि मै आरोपी के किराये के मकान के बाहर पहुंचा, जहां पर मैने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर लिया था, फिर इसके थोडी देर बाद आरोपी मुकेश बैरवा मेरी कार में आकर कार में बैठ गया था, जिससे मैने मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान की एवज में रिश्वत सम्बन्धी वार्ता हो गई है जो इस डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड हो गई है। फिर मै परिवादी को वही पर छोडकर एसीबी चैकी बून्दी आ गया हूं। जिस पर श्री राम सिंह हैड कानि को डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। इसके उपरान्त समय 6.46 पीएम पर परिवादी श्री तुषार पारीक ने श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को जर्ये दूरभाष वार्ता कर बताया कि “मैं मेरी कार से व राम सिंह जी मोटर साईकिल से रवाना होकर नैनवां रोड, रजतगृह गेट नम्बर 2 के पास पहुंचे, जहां पर राम सिंह जी अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मुकीम रहे। मैने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर लिया था, फिर इसके थोडी देर बाद आरोपी मुकेश बैरवा मेरी कार में आकर कार में बैठ गया था, जिससे मैने मेरी फर्म द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान के सम्बन्ध में वार्ता की तो मुकेश बैरवा ने मेरा भुगतान करने की एवज में रिश्वत सम्बन्धी वार्ता की है, जो डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड हो गई है। मैने डिजीटल वाईस रिकोर्ड मय मैमोरी कार्ड को श्री राम सिंह जी को सुपुर्द कर दिया है। जिस पर श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय एसीबी चैकी बून्दी पर उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 08.06.2026 समय 4.30 पीएम पर मालखाना में सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को निकलवाकर दिनांक 06.06.2026 को डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी तुषार पारीक व आरोपी मुकेश बैरवा ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिकोर्ड हुई वार्ता को श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना तो परिवादी व श्री राम सिंह हैड कानि द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होना पाया गया, आरोपी द्वारा परिवादी की फर्म द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान की एवज में रिश्वत मांग करना पाया गया। डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमारी कार्ड को सुरक्षित मालखाना रखवाया गया। दिनांक 10.06.2026 समय 1.30 पीएम पर श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री तुषार पारीक ने जर्ये दूरभाष बताया कि अरोपी मुकेश बैरवा ग्राम विकास अधिकारी ने मुझे आज 5.30 पीएम पर बुलाया है, जो मेरे से आज रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है इसलिए में रिश्वत राशि का इंतजाम करके थोडी देर बाद आपके कार्यालय में आ रहा हूं। परिवादी की उक्त सूचना से आज आरोपी की विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है इसिलए ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी की जावेगी। तत्पश्चात श्री राम सिंह हैड कानि 14 को कार्यालय पत्र क्रमांक 565 दिनांक 10.06.2026 से कार्यालय अधीशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग बून्दी के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु रवाना किया गया। इसके उपरान्त श्री राम सिंह हैड कानि 14 मय स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल फीटर कार्यालय सहायक अभियंता शहर बून्दी श्री पवन शर्मा पम्प आपरेटर कार्यालय सहायक अभियंता शहर बून्दी को लेकर कार्यालय एसीबी चैाकी बून्दी आया दोनो गवाहान को चैाकी पर उपस्थित रहने की हिदायत की गई। समय 2.10 पीएम पर परिवादी श्री तुषार पारीक उपस्थित चैाकी आया, जिसने श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै आरोपी को रिश्वत के 50 हजार रूपये ही दूंगा बाकी रकम के लिए में आरोपी को आईन्दा से देने के लिए सहमत कर लूंगा। जिस पर चैाकी पर पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल फीटर कार्यालय सहायक अभियंता शहर बून्दी श्री पवन शर्मा पम्प आपरेटर कार्यालय सहायक अभियंता शहर बून्दी से परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा दिनांक 03.06.2026 को पेश प्रार्थना पत्र को स्वतन्त्र गवाहान को पढकर सुनाया तथा ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने की सहमति चाही तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने मौखिक सहमति प्रदान करते हुये प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 2.30 पीएम पर परिवादी श्री तुषार पारीक आरोपी मुकेश बैरवा ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 06.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (19 Minuts 37 Second) जो डीवीआर के मेमोरी में रिकार्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटाप में श्री मनोज कुमार कानि0 452 से लगवाकर स्पीकर ओन करवाकर परिवादी एवं स्वतन्त्र

गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी श्री मुकेश बैरवा ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि0 452 से टाईप करवाकर प्रिंट निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रांसक्रिप्ट बनाते समय रिकोर्ड वार्ताओं में किसी प्रकार की कोई काट छांट व छेड छाड नही की गई। इसके उपरान्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री तुषार पारीक पुत्र श्री सूरेश पारीक जाति ब्राह्मण उम्र 34 साल निवासी नागदी बाजार तेली पाडा थाना कोतवाली जिला बून्दी ने अपने पास से निकालकर बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50 हजार रूपये श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बून्दी को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर पृथक पृथक निम्न प्रकार है-

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789146
2	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789147
3	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789148
4	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789149
5	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789150
6	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789151
7	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789152
8	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789153
9	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789154
10	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789155
11	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789156
12	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789157
13	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789158
14	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789159
15	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789160
16	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789161
17	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789162
18	एक नोट पांच सौ रूपये	9TD 789163
19	एक नोट पांच सौ रूपये	6KW 194529
20	एक नोट पांच सौ रूपये	9LF 667118
21	एक नोट पांच सौ रूपये	9AP 611678
22	एक नोट पांच सौ रूपये	5TT 123900
23	एक नोट पांच सौ रूपये	0BK 293257
24	एक नोट पांच सौ रूपये	3RB 958163
25	एक नोट पांच सौ रूपये	7TQ 655982
26	एक नोट पांच सौ रूपये	1NL 387424
27	एक नोट पांच सौ रूपये	0GG 367948
28	एक नोट पांच सौ रूपये	4VF 636056
29	एक नोट पांच सौ रूपये	9PC 893999
30	एक नोट पांच सौ रूपये	9VF 943703
31	एक नोट पांच सौ रूपये	1GK 591665
32	एक नोट पांच सौ रूपये	4QU 970163
33	एक नोट पांच सौ रूपये	2HS 353699
34	एक नोट पांच सौ रूपये	7BD 228434
35	एक नोट पांच सौ रूपये	8LR 577646
36	एक नोट पांच सौ रूपये	6CT 840774
37	एक नोट पांच सौ रूपये	5QR 783901
38	एक नोट पांच सौ रूपये	9RR 105626
39	एक नोट पांच सौ रूपये	0AG 540056

40 एक नोट पांच सौ रूपये 7FW 279125
41 एक नोट पांच सौ रूपये 0KT 364528
42 एक नोट पांच सौ रूपये 7EG 042385
43 एक नोट पांच सौ रूपये 0ND 809221
44 एक नोट पांच सौ रूपये 3EG 764233
45 एक नोट पांच सौ रूपये 2QW 352391
46 एक नोट पांच सौ रूपये 3BC 801067
47 एक नोट पांच सौ रूपये 9UG 261912
48 एक नोट पांच सौ रूपये 9ET 713119
49 एक नोट पांच सौ रूपये 1MV 109821
50 एक नोट पांच सौ रूपये 6AB 247593
51 एक नोट पांच सौ रूपये 7DK 617700
52 एक नोट पांच सौ रूपये 0VW 143120
53 एक नोट पांच सौ रूपये 1BV 376054
54 एक नोट पांच सौ रूपये 2GA 798525
55 एक नोट पांच सौ रूपये 3UK 159055
56 एक नोट पांच सौ रूपये 7KP 047536
57 एक नोट पांच सौ रूपये 7PR 666754
58 एक नोट पांच सौ रूपये 0QR 972299
59 एक नोट पांच सौ रूपये 7BF 751223
60 एक नोट पांच सौ रूपये 1NS 218081
61 एक नोट पांच सौ रूपये 3DQ 246005
62 एक नोट पांच सौ रूपये 2SA 996161
63 एक नोट पांच सौ रूपये 5CH 407291
64 एक नोट पांच सौ रूपये 3ME 545960
65 एक नोट पांच सौ रूपये 6BQ 318286
66 एक नोट पांच सौ रूपये 3VW 436683
67 एक नोट पांच सौ रूपये 4AF 798815
68 एक नोट पांच सौ रूपये 1MM 971083
69 एक नोट पांच सौ रूपये 5UC 490610
70 एक नोट पांच सौ रूपये 3HL 634653
71 एक नोट पांच सौ रूपये 9DV 881399
72 एक नोट पांच सौ रूपये 5GL 350905
73 एक नोट पांच सौ रूपये 9FQ 492620
74 एक नोट पांच सौ रूपये 1NG 371795
75 एक नोट पांच सौ रूपये 5AS 002709
76 एक नोट पांच सौ रूपये 9KD 206943
77 एक नोट पांच सौ रूपये 4RK 291740
78 एक नोट पांच सौ रूपये 7DC 315195
79 एक नोट पांच सौ रूपये 4SA 429380
80 एक नोट पांच सौ रूपये 4RD 167725
81 एक नोट पांच सौ रूपये 3AQ 897985
82 एक नोट पांच सौ रूपये 3AV 603953
83 एक नोट पांच सौ रूपये 5UG 502769
84 एक नोट पांच सौ रूपये 6RS 167280
85 एक नोट पांच सौ रूपये 0KB 419925
86 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789128
87 एक नोट पांच सौ रूपये 6MH 902513

88 एक नोट पांच सौ रूपये 7 TH 624068
89 एक नोट पांच सौ रूपये 6CL 724025
90 एक नोट पांच सौ रूपये 1UV 712658
91 एक नोट पांच सौ रूपये 6LF 155165
92 एक नोट पांच सौ रूपये 9QR 301535
93 एक नोट पांच सौ रूपये 9UQ 047425
94 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789134
95 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789135
96 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789136
97 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789137
98 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789140
99 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789142
100 एक नोट पांच सौ रूपये 9TD 789145

उक्त नोटों के नम्बर श्री हरीश भारती उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये, श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री तुषार पारीक की जामा तलाशी गवाह श्री रमेश मेघवाल से लिवाई गई। इसके बाद फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटो को श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि द्वारा परिवादी श्री तुषार पारीक की पेंट की सामने की बायीं जेब में रखवाया तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आपकी जेब में रखे फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से ना छूये और ना ही बार बार पेंट की जेब में हाथ डाले तथा आरोपी के द्वारा रिश्वत मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे देवे। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी लिया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री तुषार पारीक व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप टीम के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्क्न व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। परिवादी श्री तुषार पारीक को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वोईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि को पुनः समझाया गया। परिवादी श्री तुषार पारीक को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर काॅल या मिसकाॅल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। फर्द मूर्तिब की जाकर हाजिरान को पढकर सुनायी गई, सभी ने सुन समझ सही होना मानकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी श्री तुषार पारीक के बताये अनुसार आरोपी के समय 5.30 पीएम पर मिलने हेतु पूर्व में बताया गया था किन्तु आरोपी की तरफ से किसी प्रकार की सूचना नही आने पर परिवादी तुषार पारीक के मोबाईल नम्बर से आरोपी मुकेश बैरवा के मोबाईल नम्बर पर काॅल करवाया तो आरोपी का मोबाईल स्वीच आॅफ आया। इसके कुछ समय बाद परिवादी से दुबारा आरोपी के मोबाईल नम्बर पर काॅल करवाया तब भी आरोपी का मोबाईल बन्द ही आ रहा था। जिस पर परिवादी श्री तुषार पारीक को आरोपी से सम्पर्क कर आईन्दा से ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने की समझाईश कर परिवादी की पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखवाये गये फिनोफ्थलीन युक्त नोट कुल 50 हजार को स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल से निकलवाकर एक सादा खाकी लिफाफे में रखवाकर मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना रखवाया गया साथ ही पूर्व में रिकोर्डिंगशुदा डीवीआर को भी मालखाना सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी श्री तुषार पारीक व स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर सकुशल कार्यालय एसीबी चैाकी बून्दी से रवाना किया गया। दिनांक 15.06.2026 समय 11.00 एएम पर

श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस, का स्थानान्तरण कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक-पीएचक्यू ए/इस्ट-1/गजे/ टीपी-4/2026/ 1507 दिनांक 08.06.2026 व ईओबी संख्या 89/2026 के द्वारा प्रशासकीय आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों बून्दी से वृताधिकारी, कपासन, जिला चित्तौडगढ होने पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 435 दिनांक 12.06.2026 की पालना में भ्रनिब्यूरों बून्दी का चार्ज मन प्रेमचन्द मीणा, उप अधीक्षक, भ्रनिब्यूरों बारां को सुपुर्द करने के निर्देश प्रदान करने पर श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरों बारां को सुपुर्द की गई। तत्पश्चात समय 12.58 पीएम पर परिवादी श्री तुषार पारीक उपस्थित कार्यालय आया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को अपना परिचय दिया गया। जिस पर परिवादी ने बताया कि आज सुबह करीब 9.39 एएम पर मेरी आरोपी से जर्ये दूरभाष वार्ता हुई है, आरोपी मुझे आज 3.00 पीएम पर बुला रहा है जो मेरे से आज रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री तुषार पारीक द्वारा दिनांक 03.06.2026 को एसीबी चैाकी बून्दी पर एक शिकायत प्रार्थना पत्र आरोपी श्री मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा पंचायत समिति बून्दी के विरूद्व कार्यवाही हेतु पेश किया हुआ है तथा एसीबी चैकी बून्दी द्वारा दिनांक 06.06.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट, फर्द दृष्टांत फिनाफ्थ्लीन पाउडर एवं पेशकशी रिश्वत राशि मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किये हुये है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 06.06.2026 को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड कराई गई रिश्वत मांग सत्यान वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से परिवादी की फर्म द्वारा पनघट निर्माण कार्याे के भुगतान करने की एवज में 30 प्रतिशत रिश्वत राशि के रूप में मांग करना पाया गया है। डिजीटल वाईस रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाना रखवाया गया। आज ट्रेप कार्यवाही सम्भावित होने से एवं पत्रावली के अवलोकन से पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को समय 2.30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु श्री विक्रम सिंह कानि को जर्ये दूरभाष पाबन्द करने हेतु निर्देशित किया गया।इसके उपरान्त कार्यालय में पदस्थापित श्री विक्र्रम सिंह कानि द्वारा जर्ये दूरभाष स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल व श्री पवन शर्मा को समय 2.30 पीएम पर कार्यालय एसीबी चैाकी बून्दी में उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया।तत्पश्चात पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल व श्री पवन शर्मा उपस्थित कार्यालय एसीबी चैाकी बून्दी आये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आपस में परिचय किया गया एवं स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईश कर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। चूकिः आरोपी द्वारा परिवादी से 3.00 पीएम पर मिलने हेतु जर्ये दूरभाष अवगत कराया गया था इसलिए मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मालखाना से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मंगवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आॅन कर आरोपी के मोबाईल पर काॅल किया तो आरोपी द्वारा काॅल अटेन्ट नही किया गया। तभी कुछ समय बाद आरोपी के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर काॅल आने पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आॅन कर वार्ता करवाई गई तो आरोपी द्वारा आधे घंटे बाद परिवादी से मिलने के लिए बताया। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड किया गया। इसके उपरान्त आरोपी से वार्ता अनुसार आरोपी ने परिवादी को उसके किराये के मकान नैनवां रोड गेट नम्बर 02 पर बुलाया है। जिस पर मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि 106 से दिनांक 10.06.2026 को फिनोफ्थ्लीन युक्त नोट कुल 50 हजार का सादा खाकी लिफाफा निकलवाकर, परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल से लिवाई गई। इसके उपरान्त लिफाफे में से फिनोफ्थ्लीन युक्त नोट कुल 50 हजार को श्रीमती टिकूं कंवर महिला कानि से निकलवाकर सीधे परिवादी की पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात मालखाना से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के मंगवाकर परिवादी श्री तुषार पारीक को डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड बन्द चालू करने की विधि को पुनः समझाकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर को आरोपी के पास लेनदेन करने से पूर्व चालू करने की हिदायत देकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी तुषार पारीक के साथ श्री राम सिंह हैड कानि को प्राईवेट स्कूटर से आरोपी के पास उसके किराये के मकान नैनवां रोड गेट नम्बर 02 के लिए रवाना किया। श्री विक्रम कानि0 72 व स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल को अलग प्राईवेट मोटरसाईकिल से परिवादी व श्री राम सिंह हैड कानि के पीछे पीछे रवाना किया तथा उन्हे आरोपी के किराये के मकान के आसपास रूककर निगरानी करने के निर्देश दिये। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान श्री पवन शर्मा, एसीबी जाप्ता श्री देवेन्द्र सिंह व श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि तथा ट्रेप उपकरण, लेपटाॅप प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन कार से परिवादी के पीछे पीछे आरोपी के किराये के मकान नैनवां रोड गेट नम्बर 02 के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के आरोपी के किराये के मकान नैनवां रोड गेट नम्बर 02 के पास पहुंचा। वाहन में बैठकर रिश्वत लेन देन की सूचना की प्रतीक्षा करने लगा। समय 04.02 पीएम पर परिवादी तुषार पारिक ने रिश्वत लेनदेन का पूर्व निर्धारित सिर पर हाथ फेरकर मन उप अधीक्षक पुलिस को इशारा किया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम मय स्वतंत्र गवाह को एकत्रित कर मय वाहनो के नैनवां रोड गेट नम्बर 02 स्थित आरोपी के किराये के मकान के बाहर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री तुषार पारीक व एक व्यक्ति के उपस्थित मिला, परिवादी के पास खडे व्यक्ति ने मुझे व ट्रेप टीम को

देखकर अपनी जेब से 500-500 रूपये के नोट निकालकर रोड पर पटक दिये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री तुषार पारीक ने अवगत कराया कि यही व्यक्ति आरोपी मुकेश कुमार विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा, पंचायत समिति बून्दी है जिसने मेरे से मेरी फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में किये गये पनघट निर्माण के कार्यो के भुगतान करने की एवज में 50 हजार रिश्वत राशि लेकर अपनी पेंट की दाहिनीं जेब में रख लिये थे तथा जब आप लोग हमारे पास आये तब आरोपी मुकेश ने आप लोगो को देखकर मेरे द्वारा दिये गये रिश्वत के 50 हजार रूपयों को अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनीं जेब से निकालकर रोड पर नीचे पटक दिये है जो अभी भी रोड पर ही पडे है तथा परिवादी तुषार पारीक ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को बन्द हालात मे मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया था, जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के पास खडे व्यक्ति से अपना नाम व पद का परिचय देकर उससे अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेषश कुमार पुत्र श्री रामरतन उम्र 30 साल निवासी ग्राम जयस्थल थाना गेण्डोली जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा, पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी होना बताया। आरोपी मुकेश कुमार से परिवादी से रिश्वत राशि 50 हजार रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी मुकेश कुमार ने बताया कि मैने तुषार पारीक से किसी प्रकार की रिश्वत नही ली है, इसने जबरदस्ती मेरी पेंट की जेब में पैसे रख दिये थे उन पैसों को मैने मेरी जेब से निकालकर रोड पर पटक दिये है। जिस पर परिवादी श्री तुषार पारीक ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि आरोपी मुकेश कुमार झूठ बोल रहा है, मेरी फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में पनघट निर्माण का लगभग 15 लाख रूपये लागत का कार्य किया था, उक्त कार्य के भुगतान की एवज में आरोपी मुकेश कुमार मेरे से 30 प्रतिशत का लगभग 4.50 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत मैने दिनांक 03.06.2026 को एसीबी चैाकी पर दी थी तथा मेरी शिकायत का गोपनीय सत्यापन दिनांक 06.06.2026 को कराया गया था एवं आज दिनांक को आरोपी मुकेश ने मेरे से मेरी फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में पनघट निर्माण कार्यो के भुगतान की एवज में 50 हजार रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनीं जेब में रख लिये थे तथा ट्रेप टीम को देखकर आरोपी ने अपनी जेब से मेरे द्वारा दिये गये रिश्वत राशि 50 हजार को निकाल कर रोड पर पटक दिये है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल से आरोपी द्वारा नीचे रोड पर गिराये गये रिश्वत राशि के नोटो को उठाकर गिनवाया गया तो उक्त राषि 50 हजार रूपये होना स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल द्वारा बताया गया। उक्त राशि को स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल के पास सुरक्षित रखे गये। इसके उपरान्त मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी मुकेश कुमार के एक हाथ को कलाई के उपर से श्री राम सिंह हैड कानि व दूसरे हाथ को स्वतंत्र गवाह श्री पवन शर्मा से कलाई के उपर से पकडवाकर वाहन में बिठाकर मय एसीबी जाप्ते मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बाॅक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली दिगर सामग्री के नैनवां रोड गेट नम्बर 02 आरोपी के किराये के मकान के बाहर से प्राईवट वाहन व मोटर साईकिलो से थाना कोतवाली बून्दी रवाना हुआ। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री तुषार पारीक मय आरोपी मुकेश कुमार के मय ट्रेप बाॅक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली दिगर सामग्री के प्राईवट वाहन व मोटर साईकिलो से थाना कोतवाली बून्दी पहुंचा। जहां पर श्री अविनाश उप निरीक्षक मौजूद मिला, जिससे आरोपी के हाथों व पेंट के धोवन की कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने हेतु कहा तो थाना कोतवाली में एक कमरा कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी के हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशीयो मे आधा-आधा डालकर शीशीयो को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर कपडे व कागज के चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशीयो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर कपडे व कागज के चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के क्रम में आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी की पेंट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना है इसलिए स्टाॅफ से आरोपी के लिए एक पजामा की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी की पेंट को उतरवाकर पजामा पहनाया गया तथा इसके उपरान्त आरोपी की पेंट की दाहिनीं जेब को उल्टा करके धोवन लिये जाने हेतु एक गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास में आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब को गिलास में भरे पानी के घोल में धोवन लिया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो कांच की शीशीयो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी की पेंट बरंग लाईट ग्रे को सुखाकर पेंट की जेब पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षरक करवाकर बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क पी. अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास से बरामदशुदा रिश्वत राशि 50

हजार रूपये जो स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल के पास सुरक्षित रखी हुई को प्राप्त कर नोटों पर अंकित नम्बरो का मिलान स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान किये तो सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना पाया गया। उक्त नोटो का विवरण अंकित कर एक लिफाफे में रखवाया जाकर श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पवन शर्मा द्वारा लिवाई गई तो आरोपी के पास पहने हुये कपडो व एक मोबाईल के अलावा कोई आपतिजनक वस्तु दस्तयाब नही हुई। आरोपी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल वन प्लस कम्पनी का बरंग आसमानी मिला, जिसमें आरोपी द्वारा एक सिम जीओ कम्पनी की उपयोग में लेना बताया, सिम के नम्बर होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व में बातचीत होना सामने आया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर एक पीले रंग के प्लास्टिक कोटेड लिफाफे में अनसिल्ड रखा गया। आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी से परिवादी द्वारा किये गये पनघट कार्यो के भुगतान के बिलो के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त बिल कार्यालय ग्राम पंचायत गरडदा में अलमारी में रखे होना बताया, जिस पर श्री मनोज जैन विकास अधिकारी पंचायत समिति बून्दी को उक्त बिलो की सत्यापित प्रतियां पेश करने के निर्देश दिये गये। बरामदगी रिश्वत राशि कार्यवाही की वीडियोग्राफी विधिक प्रावधान अनुसार श्री विक्रम कानि0 72 से सरकारी मोबाईल सेमसंग में नया SanDisk कम्पनी के 8 जीबी के मैमोरी कार्ड डालकर करवायी गई। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मुर्तिब की गई ।तत्पश्चात बरामदगी व हाथ धुलाई कार्यवाही के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपी श्री मुकेश कुमार मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेप उपकरण, लेपटाॅप प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन कार व मोटर साईकिलो से थाना कोतवाली बून्दी से एसीबी चैकी बून्दी रवाना हुआ। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपी श्री मुकेश कुमार मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेप उपकरण, लेपटाॅप प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन कार व मोटर साईकिलो से एसीबी चैकी बून्दी वापस आया। जप्तशुदा आर्टीकल्स धौवन की शीशीयो, आरोपी की पेंट का पैकिट, रिश्वत राशि का लिफाफा मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि0 106 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया। तत्पश्चात समय 5.10 पीएम पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी के जाप्ते व आरोपी श्री मुकेश कुमार की मौजूदगी में मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में आरोपी द्वारा परिवादी तुषार पारीक से परिवादी की फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में किये गये लगभग 15 लाख के पनघट निर्माण कार्यो के भुगतान करने की एवज में आरोपी मुकेश कुमार द्वारा उक्त राशि का 30 प्रतिशत जो लगभग 4.50 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 15.06.2026 को आरोपी द्वारा परिवादी से 50 हजार रिश्वत राशि प्राप्त की गई। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी स्थल एवं घटनास्थल एवं आरोपी के हाथ व पेंट के धोवन की फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा पंचायत समिति बून्दी को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री तुषार पारीक से दिनांक 06.06.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी की फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में पनघट निर्माण कार्य के करीबन 15 लाख रूपये के भुगतान के लिए 30 प्रतिशत लगभग 4.50 रिश्वत राशि की मांग की गई एवं रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व परिवादी श्री तुषार पारीक व आरोपी मुकेश कुमार के मध्य मोबाईल वार्ता करवाई गई तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान परिवादी तुषार पारीक से 50000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकोर्ड किया गया है। उक्त रिकोर्ड की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवशकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें। इस पर आरोपी मुकेश कुमार ने फर्द पर ‘‘मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं‘‘ अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द नमूना आवाज नोटिस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त आरोपी श्री मुकेश कुमार को गिरफ्तारी के आधारो से अवगत कराया जाकर अन्तर्गत धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस दो प्रतियों में मूर्तिब किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री मुकेश कुमार को सर्व करवाकर दूसरी प्रति पर तिथि व समययुक्त हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इसके बाद मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राम सिंह हैड कानि, श्रीमती टिंकू कंवर मय स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेष मेघवाल, श्री पवन षर्मा मय परिवादी श्री तुषार पारीक मय सरकारी वाहन चालक प्रेम प्रकाष 350 के बरामदगी एवं नक्षा मौका घटनास्थल एवं आरोपी के किराये के मकान की की खाना तलाषी लेने हेतु सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के आरोपी के किराये के मकान नैनवां रोड गेट नम्बर 02 बून्दी रवाना हुआ। समय 7.00 पीएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राम सिंह हैड कानि, श्रीमती टिंकू कंवर मय स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल, श्री पवन शर्मा मय परिवादी श्री तुषार पारीक मय सरकारी वाहन चालक प्रेम प्रकाश 350 के आरोपी के किराये के मकान नैनवां रोड गेट नम्बर 02 बून्दी पहुंचा। जहां बरामदगी व घटनास्थल का नजरी निरीक्षकण किया जाकर परिवादी श्री तुषार पारीक की निशादेही से स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द नक्षा मौका

घटनास्थल पृथक से तैयार किया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री तुषार पारीक को घटनास्थल से एसीबी चैाकी बून्दी रवाना किया गया। चूकिः मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राम सिंह हैड कानि, श्रीमती टिंकू कंवर मय स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल, श्री पवन शर्मा मय सरकारी वाहन चालक श्री प्रेम प्रकाश के आरोपी के किराये के मकान नैनवां रोड गेट नम्बर 02 बून्दी के बाहर उपस्थित हूं, आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी ली जानी है इसलिए इस समय आरोपी मुकेश कुमार के किराये के मकान की खाना तलाशी स्वतन्त्र गवाहान एवं आरोपी की पत्नि श्रीमती सुनिता के समक्ष ली जाकर खाना तलाशी की वीडियोग्राफी श्री राम सिंह हैड कानि0 14 से करवाई जाकर फर्द खाना तलाशी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात बाद नक्षा मौका घटनास्थल व खाना तलाशी कार्यवाही के मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राम सिंह हैड कानि, श्रीमती टिंकू कंवर मय स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल, श्री पवन शर्मा मय सरकारी वाहन चालक प्रेम प्रकाश 350 के अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चैकी बून्दी रवाना हुआ। इसके उपरान्त नक्षा मौका घटनास्थल मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राम सिंह हैड कानि, श्रीमती टिंकू कंवर मय स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल, श्री पवन शर्मा मय सरकारी वाहन चालक प्रेम प्रकाश 350 के वापस एसीबी चैकी बून्दी आया। तत्पश्चात समय 10.00 पीएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मुकेश कुमार पुत्र श्री रामरतन उम्र 30 साल निवासी ग्राम जयस्थल थाना गेण्डोली जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा, पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी द्वारा परिवादी श्री तुषार पारीक पुत्र श्री सुरेश पारीक जाति ब्राह्म्ण उम्र 34 साल निवासी नागदी बाजार तेली पाडा थाना कोतवाली जिला बून्दी से परिवादी की फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में पनघट निर्माण कार्यो के भुगतान करने की एवज में आरोपी द्वारा अपने किराये के मकान के बाहर रोड पर 50 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध पाया गया है। आरोपी को विधिक प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय व अजमानतीय अपराध मे समुचित अन्वेषण के लिये, इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेडछाड करने एवं इस अपराध के साक्ष्यो को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने के लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारों से अवगत कराया जाकर उसके संवेधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुए जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के भाई श्री विकास को जर्ये मोबाईल नम्बर पर दी गई तथा आरोपी को एक प्रति दी गई। । आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रमेश मेघवाल से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई शर्ट की जेब से अन्तर्गत धारा 47 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस प्राप्त हुआ तथा पहने हुये कपडो के अलावा किसी प्रकार की राशि एवं वस्तु नही मिली एव ना ही कब्जे ब्यूरों लिया गया। आरोपी के पास मिले धारा 47 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। इसके उपरान्त परिवादी तुषार पारीक एवं आरोपी मुकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 15.06.2026 को हुई मोबाईल वार्ता फाईल नम्बर 20240114_185856 (38 Second) जो डीवीआर में लगे SanDisk कम्पनी के 8 जीबी के मेमोरी का कार्ड में रिकार्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटाॅप में श्री विक्रम सिंह कानि0 72 से लगवाकर स्पीकर आॅन परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी श्री मुकेश कुमार की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि0 72 से टाईप करवाकर प्रिंट निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री तुषार पारीक एवं आरोपी मुकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 15.06.2026 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता फाईल नम्बर 20240114_220301 (01 Minuts 33 Second) जो डीवीआर में लगे SanDisk कम्पनी के 8 जीबी के मेमोरी का कार्ड में रिकार्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटाॅप में श्री विक्रम सिंह कानि0 72 से लगवाकर स्पीकर आॅन परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज आरोपी श्री मुकेश कुमार की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि0 72 से टाईप करवाकर प्रिंट निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। चूकिः दिनांक 06.06.2026 को डिजीटल वाईस रिकोर्डर में रखे मैमोरी कार्ड में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्ड की गई थी व दिनांक 15.06.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता रिकोर्ड की गई एवं दिनांक 15.06.2026 वक्त रिश्वत लेनदेन के समय में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता जो कि डिजीटल वाईस रिकोर्डर में रखे मैमोरी कार्ड में जो उक्त दिनांको का रिकोर्ड की गई थी किन्तु उक्त वार्ताऐ डिजीटल वाईस रिकोर्डर का समय व दिनांक त्रुटि होने से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.01.2024 व मोबाईल वार्ता दिनांक 14.01.2024 एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.01.2024 सहवन से प्रदशित हो रही है। तत्पश्चात इस समय परिवादी श्री तुषार पारीक एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुबह 7.30 एएम पर एसीबी चैाकी पर उपस्थित होने की हिदायत देकर सकुशल रूखसत किया गया। इसके उपरान्त समय 8.10 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री तुषार पारीक एवं स्वतंत्र गवाहान श्री रमेश मेघवाल व श्री पवन शर्मा उपस्थित एसीबी चैाकी बून्दी आये। अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 8.20 एए पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री तुषार पारीक व

आरोपी मुकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 06.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आडियो फाईल नं. 20240102-202744 एवं परिवादी श्री तुषार पारीक व आरोपी मुकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 15.06.2026 को हुई मोबाईल वार्ता की आडियो फाईल नं. 20240114-185856 तथा दिनांक 15.06.2026 को परिवादी श्री तुषार पारीक व आरोपी मुकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता की आडियो फाईल नं. 2024114-200301 सहित कुल 3 रिकार्ड वार्ताओं को ए0सी0बी0 बून्दी के सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे SanDisk कम्पनी के 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया था। श्री मनोज कुमार कानि 452 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटाप की मदद से डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे SanDisk कम्पनी के 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड तीनों वार्ताओं को Ringers RG कम्पनी के 8GB के 3 पेन ड्राईव में पृथक-पृथक कापी (Copy) किया गया। जिसमें से मूल मैमोरी कार्ड को कपडे की थेली में रखकर सील मोहर किया गया, जो न्यायालय के लिए एवं कापी किये गये पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए, एक पेन ड्राईव एफएसएल परीक्षण हेतु पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया एवं एक पेन ड्राईव कागज के लिफाफे में अनसील्ड आईओ के लिए रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड की हैष वैल्यू मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 द्वारा सरकारी लेपटाप की मदद से निकलवाई गई। तत्पश्चात समय 8.35 एएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री रामरतन उम्र 30 साल निवासी ग्राम जयस्थल थाना गेण्डोली जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा, पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी द्वारा परिवादी श्री तुषार पारीक से परिवादी की फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में पनघट निर्माण कार्यो के भुगतान करने की एवज में आरोपी द्वारा अपने किराये के मकान के बाहर रोड पर 50 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। रिश्वत राशि के उपरांत बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री विक्रम सिंह कानि द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सरकारी मोबाईल में लगे SanDisk कम्पनी के 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। जिसे श्री मनोज कुमार कानि 452 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटाप के माध्यम से SanDisk कम्पनी के 8 जीबी के मूल मैमोरी कार्ड से SanDisk कम्पनी के 02 पृथक-पृथक पेन ड्राईव में लिया जाकर कापी (Copy) किया गया है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कापीशुदा एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 द्वारा सरकारी लेपटाप की मदद से निकलवाई गई। अब तक की कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि श्री तुषार पारीक पुत्र श्री सूरेश पारीक जाति ब्राह्म्ण उम्र 34 साल निवासी नागदी बाजार तेली पाडा थाना कोतवाली जिला बून्दी ने ब्यूरों कार्यालय बून्दी मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत गरडदा में तीन पनघट लगाने का टेण्डर चार महीने पूर्व मेरी फर्म तरू एंड कम्पनी को हुआ था, जिसमें एक पनघट लगाने की राशि पांच लाख रूपये थी, कुल तीन पनघट का कार्य मेरी फर्म द्वारा किया गया। जिसके भुगतान के लिए मैने कई बार ग्राम विकास अधिकारी मुकेश बैरवा को कहा तो ग्राम विकास अधिकारी ने कमीशन के 30 प्रतिशत राशि भुगतान करने के बदले मांगी तब से लेकर मैने कई बार बकाया बिल के भुगतान के लिए कहा तब मुकेश बैरवा ने कहा कि आधा भुगतान मै कर रहा हूं बाकी का भुगतान मेरा कमीशन देने के बाद करूंगा। तब 5 लाख रूपये 27.05.26 को और फिर 2.50 लाख रूपये 29.05.2026 को आया। इसके बाद मैने मेरे और मेरी फर्म द्वारा पिछले जो अन्य कार्य किये गये थे उनके बिलो के भुगतान एवं उसके अमानत राशि लोटाने के कहा तब कहा कि पहले जो भुगतान पनघट के कार्यो के पेटे हुआ है, उसमें से मेरा पूरा कमीनश 30 प्रतिशत जो कि लगभग 4.50 लाख रूपये होता है वो करो तब ही मै बाकी का भुगतान कंरूगा। तब मैने उसको एक लाख रूपये दे दिये। मै मेरे भुगतान के बदले ग्राम विकास अधिकारी को मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देना चाहता। मै उसे रिश्वत के साथ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी मुकेश बैरवा से कोई पुरानी रंजीश नही है ना ही कोई लेन देन बकाया है इत्यादि। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला पीसी एक्ट का पाया जाने पर दिनांक 06.06.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन में आरोपी मुकेश कुमार द्वारा परिवादी श्री तुषार पारीक से परिवादी की फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में किये गये पनघट कार्यो के लगभग 15 लाख के भुगतान करने की एवज 30 प्रतिशत करीब 4.50 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की, रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 15.06.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी मुकेश कुमार को परिवादी श्री तुषार पारीक से 50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनीं जेब में रख लेना एवं एसीबी टीम को देखकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 50 हजार रूपये को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर नीचे रोड पर गिराया गया। आरोपी मुकेश कुमार के दोनो हाथो का धौवन लिया गया जो हल्का गुलाबी एवं आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। उक्त धौवन को कांच की शीशीयो में अलग अलग भरकर मार्क आर.एच.-01, आर.एच.-02 व एल.एच.-01, एल.एच-02 एवं पी-01, पी-2 अंकित किया गया। आरोपी की पेंट को कपडे की थैली में रखकर मार्क-पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। घटनास्थल का फर्द नक्षा मौका तैयार किया गया। आरोपी को ट्रेप कार्यवाही के दौरान नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया तथा फर्द पर आरोपी ने “ मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं“ अंकित किया। आरोपी को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) जर्ये फर्द एवं चैक लिस्ट अनुसार गिरफ्तार किया गया। दिनांक 06.06.2026 को परिवादी तुषार पारीक व आरोपी मुकेश कुमार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, एवं दिनांक 15.06.2026 को परिवादी तुषार पारीक व आरोपी मुकेश कुमार के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं दिनांक 15.06.2026 को परिवादी तुषार पारीक व आरोपी मुकेष कुमार के मध्य हुई हुई रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड एवं क्लोनिंग पैन ड्राईव की कार्यवाही कर हेश वेल्यू निकालकर फर्द तैयार की गई। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 06.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 15.06.2026 को हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत लेनेदने वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्टे, आरोपी मुकेश कुमार के हाथों व पेन्ट के धौवन सैम्पल, नमूना आवाज नोटिस, फर्द गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं समस्त कार्यवाही से आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री रामरतन उम्र 30 साल निवासी ग्राम जयस्थल थाना गेण्डोली जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा, पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया है। अतः सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामरतन, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम जयस्थल थाना गेण्डोली जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गरडदा, पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पृथ्वीराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 317 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 993-96 दिनांक 18.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, जिला परिषद् बूंदी 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PRATHVIRAJ MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/06/2026 12:03:04

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)